कार्यालय नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

E-mail: cmoseonimalwa@mpurban.gov.in कार्यालय दूरभाष 220249-07570, 220250

क्रमांक ...1184.../रा./न.पा./2025 सिवनी मालवा दिनांक 30/05/2025

—: प्रथम ई–निविदा आमंत्रण सूचना :—

एतद द्वारा सर्वसाधरण सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा स्वामित्व के स्वीमिंग पूल, (जिस स्थिति में उसी स्थिति में) नीलामी हेतु ऑनलाईन निविदा विभागीय बेवसाइट Https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गई है। जिस मर दिनांक 30/05/2025 से 16/06/2025 तक निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय किये जा सकते है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन होने की स्थिति में संशोधन का प्रकाशन केवल Https://www.mptenders.gov.in पर ही किया जावेगा, समाचार पत्र में किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं दी जावेगी।

क्र.	टेण्डर क्र.	स्थलों का विवरण/कार्य का विवरण	आरक्षित मूल्य	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	संचालन की समयावधि
1	2025_UAD_427609_1	वार्ड न. 10 में निर्मित स्वीमिंग पूल सिवनी मालवा	5,10,000/–	50,000/–	2000/– + टेण्डर शुल्क	35 माह

नोट :– अन्य जानकारी म.प्र. शासन के ई–निविदा के पोर्टल की बेवसाईट पर देखी जा सकती है एवं आवश्यक जानकारी एवं शर्ते नगर पालिका सिवनी मालवा की राजस्व शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

1. ऐसे व्यक्ति जो निकाय सि. मा. के बकायादार है अथवा पूर्व में दुकानों/अन्य संपत्ति/भवन का आवंटन एवं अनुबंध निष्पादन नही कराया है उनकी निविदा को निरस्त करने का अधिकार निकाय को रहेगा।
2. निविदा स्वीकृति पश्चात 01 लाख रुपये एफ.डी.आर जमा करना अनिवार्य होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
सिवनी मालवा
नगर पालिका परिषद
सिवनी मालवा

पृ. क्रमांक ..../रा./न.पा./2025 सिवनी मालवा दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय संयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण नर्मदापुरम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. वेब कंटेट मैनेजर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर उक्त सूचना का प्रकाशन विभाग की वेबसाईट पर किये जाने हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. सम्पादक दैनिक समाचार (1) पत्रिका ....की ओर एक दिवस सामाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
   (2) नर्मदापुरम

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
सिवनी मालवा

कार्यालय नगरपालिका परिषद, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

–: स्वीमिंग पूल की शर्ते :–

1. ई–निविदाकार को तीन वर्ष का इन्कमटैक्स रिटर्न देना अनिवार्य होगा।
2. ई–निविदाकार को शपथ–पत्र देना होगा।
3. **ई–निविदाकार को टिन नम्बर तथा पेन नम्बर जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**
4. ई–निविदाकार को स्वीमिंग पूल अन्य कार्य के संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। जो शासकीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा।
5. कोई भी ई–निविदा सशर्त स्वीकृत नही की जावेगी।
6. यदि ई–निविदा फर्म की ओर से प्रस्तुत की जाती है तो फर्म के रजिस्ट्रेशन आदि दस्तावेज एवं फर्म की ओर से अधिकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. संबंधित को विद्युत कनेक्शन मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से तथा आवश्यक नल कनेक्शन नगर पालिका से नियमानुसार प्राप्त करना होगा तथा उसके देयको का भुगतान समय से करना होगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सिवनी मालवा के पास सुरक्षित रहेगा इस सम्बंध में कोई दावा या वाद मान्य नही होगा। न्यायालयीन की स्थिति में वाद क्षेत्र नर्मदापुरम रहेगा।
9. स्वीमिंग पूल नगर पालिका सिवनी मालवा की परिसम्पति है। संचालनकर्ता को मात्र अनुबंध अनुसार संचालन करने का अधिकार होगा।
10. नगर पालिका सिवनी मालवा की ओर से प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी समय–समय पर स्वीमिंग पूल का निरीक्षण कर सकेंगे तथा शर्तो के अधीन दिये निर्देशो का पालन संचालनकर्ता को करना बंधनकारी होगा।
11. नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा किसी भी अपरिहार्य या आपातकालीन कारणो से स्वीमिंग पूल बंद कराने की स्थिति में अनुपातिक संचालन राशि बिना किसी ब्याज के वापसी योग्य होगी।
12. भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष से अधिक आयु का हो
13. जिस व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कोई न्यायिक वाद, टैक्स बकाया या नगरपालिका से प्रतिबंध न हो।
14. संस्था/व्यक्ति को पूर्व में किसी सरकारी संपत्ति के संचालन में अनुचित व्यवहार या अनुबंध उल्लंघन के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो।
15. **3 स्वीमिंग टैनर, 1 प्लांट आपरेटर एवं 1 मैनेजर रखना, आवश्यक स्टॉफ रखना अनिर्वाय होगा।**
16. लाईफ गार्ड जैकेट रखना अनिवार्य होगा।
17. **आकस्मिक चिकित्सा (First Add) व्यवस्था अनिवार्य है।**
18. निविदाकार को चेकलिस्ट में दर्शाय गये समस्त दस्तावेज के साथ ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेना बंधनकारी होगा। किसी भी दस्तावेज की कमी होने पर संबंधित की ई–निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा न ही किसी भी प्रकार की आपत्ति को मान्य किया जावेगा।

19. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास यह अधिकार संरक्षित रहेगा की वह बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत /निरस्त कर सकता है।

20. नीलामी प्रक्रिया नीलामी सार्वजनिक होगी और इसकी सूचना समाचार पत्र, नगरपालिका की वेबसाइट और सूचना पटल पर दी जाएगी। बोली बंद लिफाफे या ई–नीलामी के माध्यम से आमंत्रित की जा सकती है। न्यूतम आरक्षित मूल्य तय किया जाएगा, जिसके नीचे कोई भी बोली मान्य नहीं होगी।

21. बोली राशि और जमानत (EMD) प्रतिभागियों को एक निर्दिष्ट जमानत राशि (Earnest Money Deposit- EMD) जमा करनी होगी। EMD असफल निविदाकर्ता को वापस की जाएगी। सफल निविदाकर्ता की EMD अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।

22. संचालन अनुबंध की अवधि सफल निविदाकर्ता को एक निश्चित अवधि 35 माह के लिए संचालन का अधिकार दिया जाएगा। अवधि पूरी होने पर नवीनीकरण की प्रक्रिया नए सिरे से की जाएगी।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय का निर्णय निविदाकार को मान्य करना होगा।

24. निविदाकार को **म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं म.प्र. नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018** के विभिन्न नियम एवं शर्तो का पालन करना होगा।

25. किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

26. ई–निविदा प्रपत्र में वांछित योग्यताधारी निविदादाता ही टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेवे, वाछिंत प्रपत्र के अभाव प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

27. अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टित रखते हुये टेंडर प्रक्रिया में समयावधि को बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

28. प्रत्येक ई–निविदा के समय निविदाकार को अपलोड किये जा रहे दस्तावेज कम्प्यूटर प्रिंटर द्वारा साफ एवं पढ़ने योग्य तरीके से स्केन कर अपलोड करने होंगे, **सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।**

29. **ई–निविदा मे उच्चतम दर प्रस्तुत करता की स्वीकृति आदेश जारी के तत्काल 24 घण्टे के अंदर 25 प्रतिशत राशि जमा न करने की दशा मे जमा अमानत/EMD राशि राजसात कर ली जावेगी।**

30. पट्टाधारी को स्वयं के व्यय पर शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर विधिवत् अनुबंध कर पंजीयन कराना होगा। अनुबंध व उसका पंजीयन के कराने के पश्चात ही भवन पर कब्जा दिया जावेगा।

31. अनुबंध में दर्शायी गयी शर्तो के पालन न करने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सिवनी मालवा को संचालनकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने अधिकार होगा।

32. अनुबंध अनुसार शर्तो का पालन करना निविदाकर्ता करता को आवश्यक होगा एवं सुरक्षा सम्बंधित सभी उपकरण पूर्ण रख रखाव के साथ संचालन के समय उपलब्ध रहना आवश्यक है।

33. शर्तो में उल्लंघन पर ऑफरकर्ता/ई–निविदाकर्ता को नोटिस द्वारा सूचित कर व्यवस्थाओ को दुरूस्त करने हेतु कहा जावेगा यदि फिर भी दूर नही करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

34. नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी को सदस्यता शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट दी जावेगी जिनकी संख्या अधिकतम 70 रहेगी और प्रत्येक पारी में 10 से ज्यादा नही होगी। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष परिषद् मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित रहेंगे।
35. स्वीमिंग पूल से प्राप्त होने वाली आय पर नियमानुसार कर सरचार्ज एवं सेवाकर जी एस टी आदि का भुगतान सम्बंधित को करना होगा।
36. स्वीमिंग पूल के अनुबंध पत्र का पंजीयन स्वंय के व्यय से अनुबंधकर्ता को करना पडेगा अनुबंध पत्र का पंजीयन पश्चात ही स्वीमिंग पूल आदेश उपरांत संचालित करना होगा।
37. स्वीमिंग पूल का शुल्क संचालक द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क अनुसार लिया जाना होगा।
38. स्वीमिंग पूल के संचालन हेतु ठेकेदार को स्वंय का स्टॉफ नियुक्त करना होगा एवं रखे गये स्टॉफ का सम्पूर्ण ब्यौरा नगर पालिका एवं पुलिस थाना को देना होगा।
39. स्वीमिंग पूल के पानी को साफ रखने हेतु केमीकल की व्यवस्था ओर पम्प आदि की रिपेयरिंग ठेकेदार को स्वंय करना होगा।
40. स्वीमिंग पूल का उपयोग नगर पालिका द्वारा निर्धारित समयानुसार करना होगा।
41. स्वीमिंग पूल खुलने का समय प्रातः 6.00 से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा।
42. स्वीमिंग पूल सप्ताह में एक दिवस एवं राष्ट्रीय पर्व/त्यौहारो पर बंद रखना अनिवार्य रहेगा।
43. उक्त परिसरो के सामान/उपकरणो आदि की क्षति होने की स्थिति में ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति राशि ली जावेगी एवं स्वंय के व्यय पर सुधरानी होगी।
44. स्वीमिंग पूल में जो भी उपकरण विद्यमान है, ठेकेदार को उसी स्थिति में लेना होगा। उक्त उपकरण की खराबी एवं टूट-फूट होगी है तो उसकी रिपेयरिंग ठेकेदार को कराना होगी और ठेका समाप्ति पर जिस स्थिति में उपकरण प्राप्त किंये गये थे। उसी स्थिति में ठेकेदार को उपकरण नगर पालिका को वापस करना होंगे अनुबंध समाप्ति पश्चात् जो भी उपकरण खराब अथवा टूटे होने पर उक्त उपकरण के मूल्य की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करना होगी।
45. स्वीमिंग पूल में दुर्घटना अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर नगर पालिका सिवनी मालवा की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
46. नगर पालिका सिवनी मालवा उक्त परिसरों में यदि कोई प्रतियोगिता का आयोजन करता है तो ठेकेदार को परिसर निः शुल्क उपलब्ध कराना होगी।
47. स्वीमिंग पूल में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन एवं धूम्रपान अथवा जुआ खेलना प्रतिबंधित रहेगा
48. उक्त परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाना तय नियमो के अनुसार रहेगा एवं साज-सज्जा में अधिक लाईटिंग करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
49. नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा स्वीमिंग पूल के संचालन हेतु निर्धारित शुल्क की छायाप्रति संलग्न है।
50. विद्युत बिल की राशि संचालनकर्ता को प्रतिमाह जमा करना होगा। निकाय द्वारा बिल का भुगतान नही किया जावेगा।
51. निविदा शर्तो में शर्ते जोडने अथवा विलोपित करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

52. स्वीमिंग पूल स्थल की आवश्यक व्यवस्था एवं किसी प्रकार के विवाद के लिए ठेकेदार स्वंय उत्तरदायित्व रहेगा। ठेकेदार किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियो में लिप्त पाया गया तो तत्काल ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

तकनीकी :–

53. स्वीमिंग पूल की वर्तमान स्थाई संरचना में कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन स्थाई रूप से नही किया जावेगा, विशेष परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन व परिवर्धन आवश्यक होने पर नगर पालिका से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लोगो की सुविधा का ध्यान रखते हुए परिवर्तन निकाय की लिखित अनुमति से ही किया जावेगा।

54. स्वीमिंग पूल की साफ–सफाई एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी तथा अपशिष्ट पदार्थो के निरसन के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार समुचित प्रबंध करना होगा। अपशिष्ट पदार्थो का निरसन नगर पालिका द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशो के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।

55. ठेकेदार को नगर पालिका तथा अन्य विभागो के नियम अनुसार समस्त अनुमतियॉ प्राप्त करनी होगी।

56. ठेकेदार स्वीमिंग पूल मे उपलब्ध स्थानो पर नगर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवसाय के अतिरिक्त आय जुटाने के लिए विवाह वर्थडे पार्टी आदि का आयोजन कर सकेगा।

57. निविदाकार को यह अधिकार होगा की सिवनी मालवा स्वीमिंग पूल कँपस में रिक्त स्थान पर और भी खेल विधाएं (स्पोर्टस एक्टिविटि) एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमो के लिए गार्डन इत्यादि का भी संचालन कर सकता है।

वित्तीय :–

58. ये परिसर यथास्थिति में वार्षिक संचालन राशि उच्चतम आफरकर्ता/ई–निविदाकर्ता को 35 माह के लिए दिये जावेंगे एवं आपसी सहमति से अगले वर्ष कार्यकाल बढाया जावेगा। निविदाकार को प्रतिभूति निक्षेप (इ एम डी) राशि 50000 रु. चेक/नगद जमा की जाना होगी।

59. निविदाकार को सूचना दिनांक से 24 घंटे के भीतर प्रथम किश्त जमा करना होगी, निविदाकार को छटवे माह में दूसरी किश्त तथा 09 वे माह में तृतीय किश्त, 12 माह में आखरी किश्त में संपूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगी।

60. सफल निविदाकार को एक लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगी।

61. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा निविदा स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत रहेगी।

62. ठेकेदार को ई–निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर ई–निविदा की राशि शर्त 59 के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगी, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप राशि आखरी किश्त में समायोजित कर ली जावेगी। यदि निर्धारित समय के भीतर ऐसी राशि जमा नही की जाती तब प्रतिभूति निक्षेप की राशि राजसात कर ली जावेगी।

63. यदि उच्चतम निविदाकार द्वारा निर्धारित द्वारा निर्धारित समय के भीतर राशि जमा नही की जाती है तब द्वितीय निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जा सकेगी तथा ऐसे निविदाकार द्वारा भी निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नही की जा सकती है तब उसकी प्रतिभूति निक्षेप राशि राजसात कर ली जावेगी।

64. यदि सक्षम अधिकारी के मत में द्वितीय उच्चतम निविदा स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः निविदा आमंत्रित की जावे तब यथास्थिति द्वितीय निविदाकर्ता की प्रतिभूति निक्षेप राशि वापस कर दी जावेगा।

65. ई–निविदाकार को अनुबंध के पूर्व वार्षिक आफर राशि की दो माह की संचालन राशि प्रतिपूर्ति राशि के रूप में जमा करना होगी जो बिना ब्याज के तीन वर्ष पश्चात् इस शर्त के साथ वापस की जा सकेगी की यथास्थिति में परिसर/उपकरणं नगर पालिका को प्राप्त होने पर अन्यथा टूट–फूट या रिपेयरिंग कार्य हेतु या विद्युत/पानी के देयको के बकाया की समयोजन उपरांत शेष प्रतिपूर्ति राशि वापस की जा सकेगी।

28/5/25

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
सिवनी मालवा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका सिवनी

1) कमल सिंह/द्वारका लाल रघुवंशी